कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/नियुक्ति प्रको/नि–2/982/शिक्षक भर्ती–2018/ लेवल II/2018–19 दिनांकः–20–09–2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त।

विषयः–राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती–2018 लेवल द्वितीय के विभिन्न पदो पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियॉ प्रदान करने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 अंतर्गत लेवल द्वितीय के विभिन्न पदो हेतु भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ की गई, राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 277 (क) के प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थियों का प्रोविजनल चयन कर जिलेवार सूचियॉ दस्तावेज सत्यापन उपरान्त पदस्थापन/नियुक्ति हेतु सभी जिला परिषदों को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई व नवचयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन, काउसंलिग एवं पदस्थापन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा पत्रांक प(5)18प्राशि/2017 दिनांक 4.9.2018 एवं 16.9.2018 द्वारा काउसंलिग कलेण्डर जारी किया गया तथा समसंख्यक पत्र दिनांक 14.9.2018, 17.09.2018 एवं 18.9.2018 द्वारा नियुक्ति/पदस्थापन हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये।

उक्त शिक्षक भर्ती व्यापक स्तर की है तथा राज्य सरकार द्वारा इस भर्ती की उच्च स्तर से मोनेटरिंग की जा रही हैं। पूर्व की समान भर्ती विभिन्न प्रकार के न्यायिक प्रकरण बनने के कारण भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने में काफी विलम्ब हुआ था, इस भर्ती में भी विभिन्न न्यायिक प्रकरण दायर हो चुके हैं व विभिन्न न्यायिक प्रकरण में माननीय न्यायलय द्वारा किसी प्रकार के आदेश पारित करने की स्थिति में भर्ती में विलम्ब हो सकता है, ऐसी स्थिति को देखते हुए उक्त शिक्षक भर्ती अन्तर्गत नवचयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति/पदस्थापन के संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में निर्देशित किया जाता हैं कि नवचयनित अभ्यर्थियों की काउसंलिग पश्चात तत्काल जिला स्थापना समिति से अनुमोदन करा कर पदस्थापन आदेश जारी कराना व्यक्तिशः सुनिश्चित करें।

यदि किसी कारणवश जिला परिषद की स्थापना समिति द्वारा समय पर प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किये जाने स्थिति उत्पन्न हो तो राज्य सरकार द्वारा पूर्व में पत्रांक प.2(5)शिक्षा–1/प्राशि/2003 दिनांक 31.01.2017 के बिन्दु संख्या 2 सी (i) में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी का यह दायित्व है कि उनके द्वारा अविलम्ब प्रस्ताव राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भिजवाये जावे।

उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार के विलम्ब/शिथिलन की स्थिति में आपका व्यक्तिगत दायित्व निर्धारित किया जायेगा।

www.rajteachers.com

20/9/18
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग(प्राशि)
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं–

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
3 कार्यालय प्रति।

20/9/18
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग(प्राशि)
राजस्थान, बीकानेर